



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र - 1311/2026

अखिलेश कुमार

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: देवेश तिवारी, अर्पित वर्मा, जितेंद्र तिवारी, जीशान अली

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता: शा० अ०

न्यायालय संख्या- 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना, तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, वर्तमान प्रार्थी सहित तीन व्यक्तियों को एक कार से पकड़ा गया। आरोप है कि उक्त वाहन की तलाशी के दौरान, कलिंगा विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा कथित रूप से जारी किए गए कई जाली अंकपत्र, तथा विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए कई नियुक्ति पत्र बरामद किए गए।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी न तो उक्त कार का स्वामी है और न ही वह उसके अनन्य कब्जे में है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि कथित बरामदगी के समय, धारा 105 भा०न्या०सं० के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। गिरफ्तारी का स्थान ही संदिग्ध प्रतीत होता है और गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्रार्थी को कभी नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरी कार्यवाही ही दूषित हो गई है।

विद्वान अधिवक्ता का आगे निवेदन है कि धोखाधड़ी का कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने सामने आकर यह आरोप नहीं लगाया है कि उसके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ धोखाधड़ी हुई है। इसी तरह, प्रार्थी के विरुद्ध कूट रचना का भी कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि प्रार्थी किसी कथित कूट-रचित दस्तावेज़ का निर्माता या लेखक है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि एक सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अलावा, विवेचक ने ऐसा कोई भी दोषी ठहराने वाला साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया है जो प्रार्थी को कथित अपराध से जोड़ता हो।

प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 21.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

यह भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त सौरभ शर्मा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 601/2026 में दिनांक 16.02.2026 को पारित आदेश के तहत पहले ही ज़मानत प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी उक्त सह-अभियुक्त को दी गई ज़मानत के आदेश के साथ समानता की मांग करता है।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि जेल से रिहा होने के बाद प्रार्थी के भाग जाने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है; तथापि, वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि कथित बरामदगी के समय भा०न्या०सं० की धारा 105 का पालन नहीं किया गया था, और यह भी कि सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करते हुए—विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें भा०न्या०सं० की धारा 105 का पालन नहीं किया गया है; प्रार्थी 21.12.2025 से बिना किसी आपराधिक इतिहास के अभिरक्षा में है; और कथित अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है, साथ ही ऊपर नामित सह-अभियुक्त को भी ज़मानत प्रदान की जा चुकी है—यह न्यायालय इसे समानता के सिद्धांत के आधार पर ज़मानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है।

तदनुसार, समानता के आधार पर ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थी - **अखिलेश कुमार**, जो अपराध संख्या 578/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भा०न्या०सं०, थाना गोमती नगर, जिला - लखनऊ से संबंधित मामले में आरोपित है, को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- I. प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- II. प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।
- III. प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं, और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

विनय/-

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।